न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

क्रमांक/रीडर–जि.दण्डा./2857/2026 कोरबा, दिनांक 27/02/2026

प्रति,

संजय पावले पिता संपत पावले
उम्र–43 वर्ष, साकिन–शंकर नगर
खरमोरा, थाना सिविल लाईन रामपुर
जिला–कोरबा (छ0ग0)

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–3 एवं 5 के तहत् इस न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक **202505050400024/2025** में पारित आदेश दिनांक **26/02/2026** अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि आप **24 घंटे** के अन्दर जिला–कोरबा तथा समीपवर्ती जिला बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिले क्षेत्र से **एक वर्ष की अवधि** के लिए बाहर चले जावे और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति के इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है।

इस आदेश का तत्काल पालन किया जावे, पालन न करने पर आपके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/रीडर–जि.दण्डा./2858/2026 कोरबा, दिनांक 27/02/2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, कोरबा (छ0ग0) उक्त आदेश की तामिली अनावेदक को तत्काल कराया जाकर पालन प्रतिवेदन सहित तामिली रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाये जाने हेतु अग्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. जिला अभियोजन अधिकारी, कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. उप संचालक, जनसंपर्क, जिला–कोरबा (छ0ग0) को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु अग्रेषित।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा(छ0ग0)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

दा0प्र0क्रं0–202505050400024 / 2025
(छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990
की धारा 3 एवं 5 के तहत्)

छ0ग0शासन
द्वारा–पुलिस अधीक्षक कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0)

.....आवेदक

विरूद्ध

श्री संजय पावले पिता संपत पावले
उम्र–43 वर्ष, साकिन–शंकर नगर खरमोरा,
थाना सिविल लाईन रामपुर, जिला–कोरबा (छ0ग0)

.....अनावेदक

/ / आदेश / /

(पारित दिनांक 26 / 02 / 2026)

(1) पुलिस अधीक्षक कोरबा के पत्र क्रमांक / पु.अ. / कोरबा / रीडर–1 / जि.ब. / 04 / 2025 दिनांक 12 / 04 / 2025 द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–03, 05 के तहत् प्रतिवेदन पेश करने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया ।

(2) पुलिस अधीक्षक जिला–कोरबा (छ0ग0) के प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक श्री संजय पावले पिता संपत पावले उम्र–43 वर्ष, साकिन–शंकर नगर खरमोरा, थाना सिविल लाईन रामपुर, जिला–कोरबा (छ0ग0) का निवासी है। अनावेदक अपराधिक प्रवृत्ति से प्रभाव में आकर लोगों से मारपीट, डराना धमकाना, शस्त्र लहराकर भय पैदाकर करना तथा अवैध मादक पदार्थ शराब बेचने जैसे–मामलों में संलिप्त रहा है। अनावेदक के द्वारा आम जनता से झगड़ा विवाद करने एवं लगातार शराब बनाने व बिक्री करने का काम करता आ रहा है, अनावेदक के कृत्यों से आम लोगों के मन में भय दहशत पैदा कर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। जिसके कृत्यों पर रोक लगाने हेतु समय–समय में भादवि के तहत् अपराध दर्ज कर एवं प्रतिबंधक धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया है। उसके बाद भी अनावेदक के कृत्यों में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है। प्रतिबंधित करने के बाद भी अनावेदक लगातार अपराध घटित करते आ रहा है। जिसके कृत्यों से आम लोगों एवं मोहल्ले में अशांति व नशाखोरी का माहौल व्याप्त है। कई लोग इसके डर से इसके कृत्यों को पुलिस के पास सूचना देने से भी डरते है। अनावेदक आम लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है, जिसका समाज के बीच में स्वछंद विचरण करना हितकर नहीं है।

क्रमशः–02

अनावेदक के विरूद्ध सिविल लाईन रामपुर, थाना बालको नगर में अवैध मादक पदार्थ शराब बेचने जैसे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कड़ी कार्यवाही करने के बाद भी अपराध करने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आया है। अनावेदक संजय पावले आतंक का पर्याय बन चुका है, ऐसी स्थिति में अनावेदक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य व्यवस्था एवं लोग सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–03, 05 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक होने पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(3) **अनावेदक के विरूद्ध की गई अपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं की कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:–**

(1) थाना रामपुर के अपराध क्रमांक 337/2023 धारा–34(1),(क),(ख) आबकारी एक्ट–अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करना।

(2) थाना रामपुर के अपराध क्रमांक 377/2023 धारा–34(2) आबकारी एक्ट–अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु भंडारण करना।

(3) थाना रामपुर के अपराध क्रमांक 505/2023 धारा–34(1),(क),(ख) आबकारी एक्ट–अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करना।

(4) थाना रामपुर के अपराध क्रमांक 142/2024 धारा–34(2), 34(1),(क), (ख) आबकारी एक्ट–अवैध कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु भंडारण कर बिक्री करना।

(5) थाना रामपुर के अपराध क्रमांक 32/2025 धारा–34(2) आबकारी एक्ट–अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु भंडारण करना।

(6) थाना बालको नगर के अपराध क्रमांक 05/2012 धारा–452, 294, 323, 506, 34 भादवि–एक राय होकर घर अंदर घुसकर गंदी–गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करना।

(7) थाना बालको नगर के अपराध क्रमांक 241/2017 धारा–34, 36 आबकारी एक्ट– अवैध कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री हेतु भंडारण कर बिक्री करना।

(8) थाना बालको नगर के अपराध क्रमांक 120/2019 धारा–25 आर्म्स एक्ट–आरोपी द्वारा धारनूमा हथियार लहराकर भय पैदा करना।

(09) थाना बालको नगर के अपराध क्रमांक 262/2019 धारा–34(1) आबकारी एक्ट– अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करना।

(10) थाना बालको नगर के अपराध क्रमांक 340/2019 धारा–294, 241, 506, 323, 34 भादवि– एक राय होकर घर अंदर घुसकर गंदी–गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करना।

क्रमशः–03

(11) थाना रामपुर के इस्तगाशा क्रमांक–416/23 धारा–107, 116(3) जा.फौ.।
(12) थाना बालको नगर के इस्तगाशा क्रमांक–17/2019 धारा–110 जा.फौ.।
(13) थाना बालको नगर के इस्तगाशा क्रमांक–21/2019 धारा–110 जा.फौ.।
(14) थाना बालको नगर के इस्तगाशा क्रमांक 107/2020 धारा–110 जा.फौ.।
(15) थाना बालको नगर के इस्तगाशा क्रमांक 213/2020 धारा–151/107, 116(3) जा.फौ.।

(4) अनावेदक संजय पावले पिता संपत पावले, उम्र–43 वर्ष, साकिन–शंकर नगर खरमोरा, थाना सिविल लाईन रामपुर, जिला–कोरबा (छ0ग0) को छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–08 में निहित प्रावधानों के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसके तहत् अनावेदक अधिवक्ता श्री विकास सिंह सिसोदिया द्वारा निम्नानुसार से बिन्दुवार जवाब पेश किया गया है :–

1. यह कि, कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोरबा के द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक–पुअ/कोरबा/रीडर–1/जि.ब./04/2025, दिनांक 12.04.2025 के तहत् संजय पावले के विरूद्ध जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक के विरूद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा–3, 5 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जावे, जो विधि विरूद्ध है चूंकि अपने प्रतिवेदन में संजय पावले जो कि रोजी मजदूरी का कार्य कर अपना एवं अपने परिवार, माता–पिता का भरण पोषण करता है। वह समाज में प्रतिष्ठित होकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इस प्रकार पुलिस अधीक्षक द्वारा बिना किसी प्रकार के साक्ष्य संकलित किये बिना ही केवल पुलिस के प्रतिवेदन एवं जरायम के आधार पर आरोपी लगाना विधि विपरित प्रतीत होता है एवं उक्त प्रकार की कार्यवाही किया जाना आरोपी के स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन प्रतीत होता है। इस प्रकार से पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन विधि विपरित होने से धारा–3, 5 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया जाना विधि विपरित होगा।

2. यह कि, पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी के उपर बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति के प्रभाव में आकर लोगों से मारपीटर करना, डराना धमकाना, शस्त्र लहराकर भय पैदा करना तथा अवैध शराब बनाने एवं बिक्री करने आदि मामलों में संलिप्त रहता है, इस प्रकार के आरोपित शब्दो का उपयोग करना विधि विपरित है। अनावेदक के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य/अपराध नहीं किया गया है कि जिससे राज्य या देश की शांति व्यवस्था भंग हो या राज्य के किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांतों के विपरित आरोपी के द्वारा कोई कार्य किया गया है या राज्य की सुरक्षा पर या लोक व्यवस्था बनाये

क्रमशः–04

रखने में कोई प्रतिकुल प्रभाव पड़ता हो, साथ ही आरोपी के उपर किसी भी प्रकार का कोई आदतन अपराधी होने के संबंध में ऐसे कोई लगातार सामान्य तौर पर एक ही प्रकृति का अपराध पंजीबद्ध नहीं है। जिससे यह कहा जा सके कि, आरोपी एक आदतन एवं नियमित तौर पर उक्त प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहता हो, अतएव धारा–3, 5 राज्य सुरक्षा अधिनियम अनावेदक की ओर आकर्षित नहीं होता, अतएव धारा–3, 5 राज्य सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किया जाना न्याय सम्मत होगा।

3. यह कि, पुलिस अधीक्षक तथा नगर पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार जिन अपराधों का उल्लेख किया गया है, उन समस्त प्रकरणों को माननीय संबंधित न्यायालयों द्वारा निराकृत किया जा चुका है तथा वर्तमान में केवल तीन ही आबकारी एक्ट से संबंधित मामले लंबित है, जिसका प्रकरण क्रमांक 2484/2023, 2120/2023, 2654/2023 है। इस प्रकार से आरोपी संजय पावले को किसी भी अपराध में दोषसिद्धी नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में बिना कोई गंभीर अपराध के न होते हुए अनायाश ही विधि विपरित, सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं गुण–दोष का आंकलन किये बिना ही धारा–3, 5 राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् प्रतिवेदन प्रस्तुत करना न्यायहित में नहीं है, अतएव धारा–03, 5 राज्य सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायहित में होगा।

4. यह कि छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा–05 (क), (ख) के अंर्तवस्तु से संबंधित कोई भी तत्व वर्तमान परिस्थिति में एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के अनुसार आकर्षित नहीं होने पर प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही करना विधि विपरित होगा, अतएव कार्यवाही निरस्त किया जाना न्याय संगत होगा।

5. यह कि, अनावेदक पूर्व में या वर्तमान में ऐसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा है, जिससे कि देश, राज्य के एकता एवं अखण्डता को नुकसान पहुंचे व किसी जाति धर्म, सम्प्रदाय के लोगों को उकसाते हुए आरजकता फैलाए साथ ही अनावेदक पूर्व में या वर्तमान में ऐसी कोई गतिविधि में शामिल नहीं रहा है, जिससे कि राज्य की जनहित योजनाओं को क्षति पहुंचे या राज्य द्वारा अति संवेदनशील निर्वाचनों को प्रभावित करें, इस प्रकार से पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन जो कि राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत है, आकर्षिक नहीं होते। अतएव आरोप प्रस्तुत किये गए प्रतिवेदन के धाराओं से निर्देष प्रतीत होता है एवं प्रस्तुत जवाब के तथ्यों के आधार पर न्यायहित में दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रमशः–05

6. यह कि, माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस अधीक्षक से वर्तमान में जो प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिनमें कथन है कि आम जन इनके विरूद्ध साक्ष्य देने से कतराते है पूर्णतः मिथ्या है। क्योंकि पुलिस अधीक्षक के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट हो कि अनावेदक किसी संगठित गिरोह का सदस्य है एवं न ही किसी ऐसी कोई शिकायत पुलिस अधीक्षक के समक्ष कोई आम जन ने किया है कि जिससे ऐसा प्रतीत हो कि, अनावेदक के विरूद्ध शिकायत व अपराध पंजीबद्ध उपरांत उनके जान माल को खतरा है इस आधार पर भी स्पष्ट होता है कि अनावेदक के विरूद्ध राजनीतिक दबाव के कारण उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, अनावेदक के विरूद्ध कोरबा जिले के अधीन मात्र 04 से 05 मामले ही विचारित अथवा लंबित है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं है, उपरोक्त के अतिरिक्त अनावेदक के द्वारा ऐसा कोई भी अपराधिक कृत्य नहीं किया है, जिससे कि लोक शांति भग होती हो।

8. यह कि, पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध जो कार्यवाही करने का निवेदन माननीय न्यायालय से किया गया है कि कोई भी तत्व आकर्षित नहीं होने के कारण से राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध या कार्यवाही अनावेदक के विरूद्ध नहीं बनता इस कारण से उक्त अपराध से अनावेदक को उन्मोचित करना न्यायहित में होगा।

अतः अनावेदक को उक्त आरोपो से दोषमुक्त कर प्रकरण समाप्त करने का आदेश देने की कृपा करें, ताकि अनावेदक समाज में प्रतिस्थापित होकर एक समाजिक जीवन व्यतीत कर सकें। अनावेदक के विरूद्ध वर्तमान में राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–03 एवं 05 के प्रकरण को न्यायहित में निराकृत कर समाप्त किये जाने की निवेदन किया गया है।

(5) प्रकरण में श्री नवीन पटेल, उप निरीक्षक, थाना प्रभारी, थाना सिविल लाईन रामपुर, जिला–कोरबा (छ0ग0) दिनांक 05.02.2026 को उपस्थित होकर अपने शपथ पूर्वक कथन में बताया गया कि–मैं जनवरी 2026 से थाना प्रभारी, थाना सिविल लाईन रामपुर के पद पर पदस्थ हूँ। अनावेदक संजय पावले पिता संपत पावले, निवासी–शंकर नगर खरमोरा, थाना सिविल लाईन रामपुर, जिला–कोरबा (छ0ग0) का निवासी है। तत्कालीन निरीक्षक थाना प्रभारी, थाना प्रमोद डनसेना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अनावेदक अपराधिक प्रवृत्ति से प्रभाव में आकर, लोगों को मारपीट,

क्रमशः–06

डराना धमकाना, शस्त्र लहराकर भय पैदाकर करना तथा अवैध मादक पदार्थ शराब बेचने जैसे–मामलों में संलिप्त रहा है। अनावेदक के द्वारा आम जनता से झगड़ा विवाद करने एवं लगातार शराब बनाने व बिक्री करने का काम करता आ रहा है, अनावेदक के कृत्यों से आम लोगों के मन में भय दहशत पैदा कर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। जिसके कृत्यों पर रोक लगाने हेतु समय–समय में भादवि के तहत् अपराध दर्ज कर एवं प्रतिबंधक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया जाकर माननीय न्यायालय में चालान/इस्तगाशा प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक के विरूद्ध थाना रामपुर के अपराध क्रमांक 337/2023 धारा– 34(1)(क)(ख) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 377/2023, धारा–34(2) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 505/2023 धारा–34(1)(क)(ख) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 142/2024 धारा–34(2),34(1)(क)(ख) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 32/ 2025 धारा–34(2) आबकारी एक्ट के तहत् पंजीबद्ध है तथा इस्तगाशा क्रमांक 416/23 धारा–107, 116(3) जा.फौ तथा थाना बालको में अपराध क्रमांक 05/2012 धारा–452, 294,323,506,34 भादवि, अपराध क्रमांक 241/17 धारा–34,36 आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 120/2019 25 आर्म्स एक्ट, अपराध क्रमांक 262/19 धारा–34(1) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 340/ 2019 धारा–294,241,506,323,34 भादवि तथा इस्तगाशा क्रमांक 17/19 धारा–110 जा.फौ., इस्तगाशा क्रमांक 21/2019, धारा–110 जा.फौ., इस्तगाशा क्रमांक 110 जा. फौ., इस्तगाशा क्रमांक 213/2020 धारा–151/107,116(3) जा.फौ. के तहत् पंजीबद्ध है। उसके बाद भी अनावेदक के कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। प्रतिबंधित करने के बाद भी अनावेदक लगातार अपराध घटित करते आ रहा है। जिसके कृत्यों से आम लोगों एवं मोहल्ले में अशांति व नशाखोरी का माहौल व्याप्त है, कई लोग इसके डर से इसके कृत्यों को पुलिस के पास सूचना देने से भी डरते है। अनावेदक आम लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है, जिसका समाज के बीच में स्वछंद विचरण करना हितकर नहीं है। अनावेदक के विरूद्ध सिविल लाईन रामपुर, थाना बालको नगर में अवैध मादक पदार्थ शराब बेचने जैसे अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, कड़ी कार्यवाही करने के बाद भी अपराध करने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आया है। जो क्षेत्र में आतंक फैला रहा है, जिसके कारण राज्य सुरक्षा पर व लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। अनावेदक संजय पावले का कोरबा जिला में रहना सामाजिक एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। अनावेदक के अपराधिक गतिविधियों के हमेशा संलिप्त रहा है। वर्तमान में लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनावेदक का जिला बदर किया जाना उचित होगा।

क्रमशः–07

जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)

अनावेदक संजय पावले पिता संपत पावले की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एस. गोयल द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गयाः– यह कहना सही है कि संजय पावले के विरूद्ध मेरे पदस्थापना के दौरान वर्तमान में कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया है। स्वतः कहा की उसके पूर्व के विरूद्ध वर्तमान में प्रकरण दर्ज कर पेश किया गया है। यह कहना सही है कि जिला बदर की इस्तगाशा मेरे द्वारा पेश नहीं किया गया है। स्वतः कहा कि पूर्व थाना प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार डनसेना जिला बदर की प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह कहना सही है कि आरोपी संजय पावले के विरूद्ध प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों में अपराध की अपराध डायरी की कॉपी प्रस्तुत की गई है। उक्त अपराध के आरोपी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध या जुर्माना किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। स्वतः कहा की उक्त अपराध/धारा माननीय न्यायालय में लंबित है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी के विरूद्ध वर्तमान में कितने मामले न्यायालय में लंबित है। अपराध क्रमांक 377/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट जो लंबित है तथा अन्य मामलों में आरोपी को दोष मुक्त किया जा चुका है।

प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य हेतु श्री प्रमोद डनसेना, निरीक्षक, थाना प्रभारी, थाना हरदीबाजार, तत्कालीन थाना प्रभारी, थाना सिविल लाईन रामपुर, जिला–कोरबा (छ0ग0) दिनांक 19.02.2026 को उपस्थित होकर अपने शपथ पूर्वक कथन में बताया गया कि– थाना सिविल लाईन रामपुर में मेरे पदस्थापना के दौरान अनावेदक संजय पावले पिता संपत पावले के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अनावेदक शुरू से ही अपराधिक प्रवृत्ति से प्रभाव में आकर, लोगों को मारपीट, डराना धमकाना, शस्त्र लहराकर भय पैदा कर करना तथा अवैध मादक पदार्थ शराब बेचने जैसे– मामलों में संलिप्त रहा है। अनावेदक के द्वारा आम जनता से झगड़ा विवाद करने एवं लगातार शराब बनाने व बिक्री करने का काम करता आ रहा है, अनावेदक के कृत्यों से आम लोगों के मन में भय दहशत पैदा कर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। जिसके कृत्यों पर रोक लगाने हेतु समय–समय में भादवि के तहत् अपराध दर्ज कर एवं प्रतिबंधक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही किया जाकर माननीय न्यायालय में चालान/इस्तगाशा प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक के विरूद्ध थाना रामपुर के अपराध क्रमांक 337/ 2023 धारा–34(1)(क)(ख) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 377/2023, धारा–34(2) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 505/2023 धारा–34(1)(क)(ख) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 142/2024 धारा– 34(2), 34(1)(क) (ख) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 32/2025 धारा–34(2) आबकारी एक्ट के तहत् पंजीबद्ध है तथा इस्तगाशा क्रमांक 416/23 धारा–107, 116(3) जा.फौ तथा थाना बालको में अपराध क्रमांक 05/2012 धारा–452, 294,323,506,34 भादवि,

क्रमशः–08

आर्म्स एक्ट, अपराध क्रमांक 262/19 धारा– 34(1) आबकारी एक्ट, अपराध क्रमांक 340/2019 धारा–294, 241,506,323,34 भादवि तथा इस्तगाशा क्रमांक 17/19 धारा–110 जा.फौ., इस्तगाशा क्रमांक 21/2019, धारा–110 जा.फौ., इस्तगाशा क्रमांक 110 जा.फौ., इस्तगाशा क्रमांक 213/2020 धारा–151/107,116(3) जा.फौ. के तहत् पंजीबद्ध है। उसके बाद भी अनावेदक के कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। प्रतिबंधित करने के बाद भी अनावेदक लगातार अपराध घटित करते आ रहा है। जिसके कृत्यों से आम लोगों एवं मोहल्ले में अशांति व नशाखोरी का माहौल व्याप्त है। कई लोग इसके डर से इसके कृत्यों को पुलिस के पास सूचना देने से भी डरते है। अनावेदक आम लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है, जिसका समाज के बीच में स्वछंद विचरण करना हितकर नहीं है। अनावेदक के विरूद्ध सिविल लाईन रामपुर, थाना बालको नगर में अवैध मादक पदार्थ शराब बेचने जैसे अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, कड़ी कार्यवाही करने के बाद भी अपराध करने की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई है और इनके परिवार के सदस्य पत्नि, बेटे, बेटी ये भी अपराधिक प्रवृत्ति के है एवं अवैध करोबार में लगे हुए है। इनके विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में उनके परिवार के सदस्य के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध है एवं अन्य जिलों में भी अपराध पंजीबद्ध है। इनके परिवार एवं इनके परिवार के अन्य लोग में अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है एवं अपराध फैला रहा है। जो क्षेत्र में आतंक फैला रहा है, जिसके कारण राज्य सुरक्षा पर व लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। अनावेदक संजय पावले का कोरबा जिला में रहना सामाजिक एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। अनावेदक के अपराधिक गतिविधियों के हमेशा संलिप्त रहा है। वर्तमान में लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनावेदक का जिला बदर किया जाना उचित होगा।

<u>अनावेदक संजय पावले पिता संपत पावले की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एस. गोयल द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया</u> :– यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अनावेदक के विरूद्ध किसी में मामलों में विवेचना स्वतंत्रों रूप से नहीं किया गया। मेरे पदस्थापना के दौरान के मेरे अधीनस्थों द्वारा की गई है एवं अंतिम प्रतिवेदन मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह कहना सही है कि उक्त अपराध के आरोपी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध या जुर्माना किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। स्वतः कहा की उक्त अपराध/धारा माननीय न्यायालय में लंबित है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी के विरूद्ध वर्तमान में कितने मामले न्यायालय में लंबित है। स्वतः कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अनावेदक के विरूद्ध वर्तमान में कितने मामलों में निराकृत एवं लंबित है।

क्रमशः–09

प्रकरण में अनावेदक सहित अधिवक्ता श्री पी.एस. गोयल का मौखिक तर्क ा किया गया।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जिला–कोरबा (छ0ग0) के प्रतिवेदन, अभियोजन ी के शपथ पूर्वक बयान, अनावेदक का जवाब/तर्क एवं प्रकरण में संलग्न राधिक सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदक श्री संजय पावले ता संपत पावले, उम्र–43 वर्ष, साकिन–शंकर नगर खरमोरा, थाना सिविल लाईन मपुर, जिला–कोरबा (छ0ग0) अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो अपराधिक प्रवृत्ति प्रभाव में आकर, लोगों को मारपीट, डराना, धमकाना, शस्त्र लहराकर भय पैदा रना तथा अवैध मादक पदार्थ, अवैध कच्ची महुआ शराब का भंडारण व बिक्री करने, र में घुसकर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी, गाली–गलौच करने जैसे मामलों में संलिप्त रहा है। अनावेदक आम जनता से वाद विवाद करने एवं लगातार शराब बनाने व बिक्री करने का काम करता आ रहा है। आम लोगों के मन भय दहशत पैदा कर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। अनावेदक के विरूद्ध कुल 10 अपराधिक एवं 05 प्रतिबंधात्मक धाराए पंजीबद्ध है। प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने बाद भी अपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है। अनावेदक लगातार अपराध घटित करते आ रहा है। जिसके कृत्यों से आम लोगों एवं मोहल्ले में अशांति व नशाखोरी का माहौल व्याप्त है, कई लोग इसके डर से पुलिस के पास सूचना देने के लिए भी कतराते है। अनावेदक आम लोगों के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ है, जिसका समाज के बीच में स्वछंद विचरण करना हितकर नहीं है। जिससे वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आद्तन अपराधी संजय पावले पिता संपत पावले के कृत्यों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धार–05(ख) के तहत् किसी अपराध के करने में या ऐसी किसी अपराध के दुष्प्रेरणा में संलग्न है या संलग्न होने को आमादा है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में उसकी ओर से आशंका होने के कारण, खुले आम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामन्द नहीं है। ऐसी स्थिति में अनावेदक के लगातार अपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित रहने से आम जनता को हो रही परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 की धारा–3, 5 के तहत् कार्यवाही का पर्याप्त आधार है।

अतः **मैं कुणाल दुदावत, जिला दण्डाधिकारी, जिला–कोरबा (छ0ग0),** छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा–3 एवं 5 के प्रावधानों के तहत् यह आदेश देता हूँ कि अनावेदक श्री संजय पावले पिता संपत पावले, उम्र–43 वर्ष, साकिन–शंकर नगर खरमोरा, थाना सिविल लाईन रामपुर, जिला–कोरबा (छ0ग0)

क्रमशः–10

को **आगामी 01(एक) वर्ष** के लिए जिला कोरबा एवं समीपवर्ती जिला क्रमशः बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जावे। अनावेदक इस न्यायालय की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना उपरोक्त जिलों की सीमाओं में इस आदेश के तामील होने के 01 (एक) वर्ष की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नही करेगा। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का पालन न करने पर उसे बलपूर्वक उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जावे। यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन किया जावेगा, तो उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम–1990 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज **दिनांक 26/02/2026** को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

जिला–दण्डाधिकारी
कोरबा (छ0ग0)